

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT OF TERM LOAN / HYPOTHECATION AGREEMENT

अवधि ऋण इकरारनामा / गिरवीनामा

This Agreement of Term Loan on this day / इस दिन यह अवधि ऋण इकरारनामा आज दिनांक को _____

BETWEEN / प्रथम पक्ष में

AYE FINANCE (P) LTD (hereinafter referred to as the "Company") a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at **M-5, Magnum House-1, Mezzanine floor, Community Centre, Karampura, Opp Milan Cinema, New Delhi -110015** and duly registered as NBFC, acting through its branch mentioned in the Schedule 'A' (which expression shall, unless it be repugnant to the meaning or context thereof, mean and include its successors in title and assigns) of the **ONE PART**;

आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड (जो कि यहाँ आगे "कंपनी" कहा जाएगा) जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमित एक कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (**NBFC**) के रूप में पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-5, मैग्नम हाऊस-1, मैजानाईन मंजिल, सामुदायिक केंद्र, कर्मपुरा, मिलन सिनेमा के विपरीत, नई दिल्ली-110015 में जो अनुसूची (ए) में दी गई शाखा के माध्यम से कार्यरत है (इस अभिव्यक्ति में जब तक कोई बात संदर्भ के विरुद्ध या उसके अपवर्जित न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे)

AND / और

The **Borrower** and **Co-borrower(s)** whose name(s) and address (es) are specified in **Schedule B**, carrying on business as sole proprietor / in partnership under the firm name as specified in **Schedule B** (hereinafter referred to as the "**Borrower**" which expression shall where the Borrower is a single individual, include his heirs, executors and administrators and where the Borrower is more than one individual include the survivors or survivor of them and the respective heirs, executors, and administrators of a deceased joint borrower) of the **OTHER PART**;

दूसरे पक्ष में उधारकर्ता और सह उधारकर्ता जिनके नाम और पते अनुसूची बी में निर्दिष्ट हैं, जो कि अपना व्यापार एकमात्र मालिक / साझेदारी के रूप में अनुसूची बी में निर्दिष्ट फर्म के नाम में कर रहे हैं (जो कि यहाँ "उधारकर्ता" कहा जाएगा जिसके अभिव्यक्ति अर्थ के संदर्भ में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और व्यवस्थापक शामिल हैं। और जहां पर उधारकर्ता एक से ज्यादा है तो उसमें मृतक संयुक्त उधारकर्ता के उत्तराधिकारी और संबंधित वारिस, निष्पादक और व्यवस्थापक शामिल हैं) के मध्य तैयार किया जा रहा है

AYE FINANCE (P) LTD and Borrowers are herein after collectively referred to as "Parties" and individually as "Party".

आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड और उधारकर्ता यहाँ पर संयुक्त रूप से "समी पक्ष या पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएंगे।

WHEREAS / जबकि :

- The Borrower and Co Borrower have approached AYE FINANCE (P) LTD for a loan/financial assistance, for the express business purpose and upon the basis set out in the Borrower's Loan Application, which AYE FINANCE (P) LTD has agreed to grant upon the terms and conditions as contained herein.
उधारकर्ता और सह उधारकर्ता ने अभिव्यक्त व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड को उधारकर्ता के ऋण आवेदन, में दिए गए आधारों पर ऋण/वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया है और आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड यहाँ निहित निबंधन और शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।
- AYE FINANCE (P) LTD has at the request of the Borrower and Co Borrower and on basis of their loan application, agreed to disburse a loan ("Loan") of the amount stated in Schedule A, on the terms and conditions set out herein below, on or after execution of this Agreement either in one lump sum or in such amounts as may be mutually agreed upon by the parties to be utilized by the Borrower and Co Borrower for purchase of the movable Assets /Goods/ Property/Plant and Machinery which are to be hypothecated to the Company in the Manner hereinafter appearing and short particulars whereof are given in Schedule "C".
आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के अनुरोध पर और उनके ऋण आवेदन पत्र के आधार पर, नीचे दी गई निर्धारित नियमों और शर्तों पर, अनुसूची 'ए', में वर्णित राशि का ऋण ("ऋण") देने के लिए सहमत हो गई है। ऋण की राशि इस करार के निष्पादन पर या इसके बाद, एक मुश्त राशि में पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित भागों में संवितरित की जाएगी उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता द्वारा जो चल संपत्ति/सामग्री/संपत्ति/संयंत्र की खरीद करेगें वह कंपनी के पास गिरवी रखे जाएंगे। जिनका सार विवरण अनुसूची 'सी' में दिया गया है।
- The Borrower and Co Borrower agree to jointly and severally secure and co-sign the Agreement with AYE FINANCE (P) LTD In accordance with the terms and conditions set out herein below.
उधारकर्ता और सह उधारकर्ता संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से नीचे निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड के साथ इस करार की पुष्टि करने के लिए इस पर सह-हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं।

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AND THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS अब दोनों पक्ष इस इकरारनामों पर निम्नलिखित तरीके से सहमत हैं:-

Article -1/ अनुच्छेद-1

1. Definitions / परिभाषाएं:

- 1.1 In this agreement the following words shall have the following meaning, unless the context otherwise requires
इस इकरारनामों में निम्नलिखित शब्दों का निम्न अर्थ होगा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों।:

"Agreement" means this loan agreement including all Schedules hereto and any amendments or addendums thereof that may be executed between the Parties. It shall also include the Application Form submitted by the Borrower to the Company for grant of the Loan and the disbursement letter, Schedule of Charges, Sanction Letter etc. issued by the Company to the Borrowers

"इकरारनामे" का मतलब इस ऋण करार से है जिसमें सभी अनुसूचियां शामिल हैं और कोई भी संशोधन या परिशिष्ट जो कि पक्षों के बीच क्रियान्वित की जायें। इसमें उधारकर्ता द्वारा कंपनी को ऋण देने के लिए दिए गए आवेदन पत्र और कंपनी द्वारा जारी किए गए संवितरण पत्र, शुल्कों की अनुसूची, स्वीकृति पत्र आदि भी शामिल हैं।

"Application Form" means the application made by the Borrower in the form specified by the Company for a Loan and where the context so requires, all other information submitted by the Borrower with a view to avail the Loan.

"आवेदन प्रपत्र" का मतलब है ऋण के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन जोकि कंपनी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हो और जिसमें ऋण लेने की दृष्टि से आवश्यक अन्य सभी जानकारी उधारकर्ता द्वारा दी गई हों।

"Dues" means all amounts payable by the Borrower to the Company from time to time under this Agreement which includes the principal amounts payable towards the repayment of the Loan, interest, additional interest, fees, commitment charges, costs, reimbursement of insurance premiums, other charges and expenses including without limitation the EMI, PEMI (if applicable) etc.

"बकाया" का मतलब इस इकरारनामे के तहत उधारकर्ता द्वारा कंपनी को समय समय पर दी जाने वाली राशि जिसमें ऋण चुकाने के लिए देय मूलधन, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की अदायगी और अन्य देय शुल्क और अन्य खर्चों के सहित ईएमआई और पीएमआई (यदि लागू हो) आदि शामिल हैं।

"Due Date" means, the date on which an installment of the principal amount of the Loan and/ or interest and/ or EMI and/ or any other amount and/ or Dues payable under this Agreement, as the case may be, is due for payment as mentioned in the Schedule or as may be amended by the Company from time to time.

"नियत दिनांक" का अर्थ है, तारीख, जिस पर ऋण और/या ब्याज और/या ईएमआई और/या इस इकरारनामे के तहत देय किसी भी अन्य राशि और/या देय राशि का मूल राशि की एक किश्त, जैसा भी संदर्भ हो, भुगतान के लिए देय हो जिसका अनुसूची में उल्लेख किया हो या जिसका समय – समय पर कंपनी द्वारा संशोधन किया गया हो।

"Delayed Payment Charges" means additional fees specified in the Company's Schedule of Charges, for a payment delayed beyond the due date of the Equated Monthly Installment

"विलंबित भुगतान शुल्क" का मतलब है कंपनी की शुल्क अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क, जो कि मासिक किस्त की देय राशि का देरी से भुगतान के लिए लगाया जाए।

"Effective Date" means, unless specified otherwise the date on the cheque issued for disbursement by the Company to the Borrower.

"प्रभावी तिथि" का मतलब है अगर अन्यथा निर्दिष्ट न हो, कंपनी द्वारा वितरण के लिए जारी किए गए चेक पर निर्दिष्ट तिथि।

"EMI" means the amount that the Borrowers shall repay to the Company every month.

"ईएमआई" का मतलब वो राशि जो उधारकर्ताओं द्वारा हर महीने कंपनी को चुकाया जाएगा।

"Installment date": The specified date of the calendar month on which each EMI is due.

"किस्त की तारीख" प्रत्येक कैलेंडर माह की निर्धारित तिथि जिस पर ईएमआई देय है।

"Interest Rate" means the rate at which AYE FINANCE (P) LTD shall compute and apply interest on the Loan as specified in the Schedule or as may be amended from time to time by the Company.

"ब्याज दर" का मतलब वो दर है जिसके आधार पर आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड ऋण पर लागू ब्याज की गणना करेगी। यह दर अनुसूची में उल्लिखित है और जो कंपनी द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

"Loan" means the amount of the financial assistance provided under this Agreement as more particularly mentioned in Schedule hereto.

"ऋण" का मतलब इस इकरारनामे के तहत प्रदान की गई वित्तीय सुविधा है और जो कि विशेष रूप से अनुसूची में उल्लिखित है।

"Material Adverse Event" shall mean an event that may, in the opinion of the Company, impair the financial condition of the Borrower or the ability of the Borrower to perform or comply with its material obligations under this Agreement.

"अहम् प्रतिकूल घटना" ऐसी घटना जो कंपनी की राय में, उधारकर्ताओं की वित्तीय हालत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले और जिससे उधारकर्ता अपने दायित्वों का पालन करने में आशक्त या असक्षम हो सकता हो।

"Outstanding Balance" means the balance of the loan outstanding and includes unpaid interest, costs charges and expenses.

"बकाया राशि" का मतलब है बकाया ऋण की शेष राशि, जिसमें बकाया ब्याज, शुल्क और खर्च भी शामिल हैं।

"Orerdue Charges" mean the amount of penal charges as specified in the schedule attached here to or as may be amended for time to time by the company that will be recovered from the borrower when the EMI, PEMI or other payments are not paid when they fall due for payment.

"अतिदेय जुर्माना" का मतलब है वह जुर्माना राशि जो कंपनी उधारकर्ता द्वारा देय ईएमआई, पीएमआई या अन्य देय रकम का भुगतान ना करने पर उधारकर्ता से वसूल करेगी, जैसा कि संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है या जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर संशोधित किया जा सकता है।

"PEMI" or "Pre Equated Monthly Installment" means simple interest at the rate specified in the Schedule attached hereto from the date/ respective dates of disbursement as mentioned in the Disbursement Letter up to the date immediately prior to the date of commencement of EMI rounded off to the next rupee and includes: "पीईएमआई" या "पूर्व मासिक किस्त" का मतलब साधारण ब्याज जोकि अनुसूची में निर्दिष्ट साधारण ब्याज दर के आधार पर वितरण की तिथि/वितरण की क्रमिक तिथियों से ईएमआई शुरू होने की तारीख से तुरंत पहले तक की अवधि पर आंका जाएगा। यह राशि अगले पूर्ण रुपये की संख्या पर निर्दिष्ट की जाएगी।

"Preclosure" means premature repayment in accordance with the terms and conditions specified by the Company and in force at the time of repayment.

"पूर्व चुकौती" का मतलब है ऋण की अवधि के पूर्व चुकौती जो कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार हो जो शर्त पूर्व चुकौती के समय लागू हो।

"Property" means the immoveable property more particularly described in the Schedule hereto and includes:

"संपत्ति" का मतलब वह अचल संपत्ति जो यहां पर अनुसूची में विशेषतः वर्णित हो और जिसमें ये शामिल हो:

- in the case of a flat, the entire built-up area (and any addition thereto), the proportionate share in the common areas of the building in which such flat is/ will be situated and the proportionate undivided share in the land on which the said building is situated or is being/ will be built, including any open/ covered garage spaces specifically allotted to such flat; and/ or
फ्लैट के संदर्भ में, पूरा निर्मित क्षेत्र (और कोई भी परिवर्तन), इमारत के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें वो फ्लैट स्थित है/ होगा और जमीन का आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर इमारत स्थित है या/ बनने जा रही है, जिसमें कोई भी खुला/ ढका गैराज जो कि विशेष रूप से इस तरह के फ्लैट के लिए आवंटित हो; और/ या
- in the case of an individual house, the house and entire plot of land on which the house is situated or on which the house will be built up including all easement rights; and/ or
व्यक्तिगत घर के संदर्भ में, घर और पूरा प्लॉट जिस जमीन पर वो घर स्थित हो या जहां पर घर बनने जा रहा हो जिसमें भोगाधिकार शामिल हैं; और/ या
- in the case of a plot of land, the land without cancellation/ termination/ exchange of any easement right attached with it; and/ or
जमीन के एक भूखंड के संदर्भ में, जमीन भोगाधिकार खारिज/ समाप्त/ हस्तांतरित न हुआ हो और/ या
- all furniture and fixtures contained in the Property, (If any); and/ or.
समस्त फर्नीचर – चल और अचल वस्तुएँ जो संपत्ति में निहित हो।
- any other immovable property as described in the Schedule attached hereto including entire built-up area, proportionate land and all other rights attached to such Property.
यहां अनुसूची में वर्णित और कोई भी अचल संपत्ति जिसका पूरा निर्मित क्षेत्र आनुपातिक जमीन और ऐसी संपत्ति में संलग्न कोई भी अन्य अधिकार शामिल हैं।

It is hereby clarified that the term Property shall include all construction, extension, modification, repair, renovation, maintenance or any act done to upkeep, maintain and enhance the utility of the Property whether or not by utilizing the Loan proceeds and also all benefits arising out of the Property.

यहां ये स्पष्ट किया जाता है इस संपत्ति की परिभाषा में सभी निर्माण, विस्तार, संशोधन, मरम्मत, नवीकरण, रखरखाव या रखरखाव के लिए किया गया कोई भी कार्य जो संपत्ति को बनाए रखने और संपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होंगे जो कि चाहे ऋण राशि के प्रयोग से हों या नहीं और संपत्ति से जो भी लाभ उत्पन्न होंगे" सब शामिल होंगे।

"Repayment" means and includes repayment of all dues in respect of the Loan, which shall include the principal amount of the Loan, interest, all taxes, levies, charges, legal fees, expenses and costs etc, and other incidental expenses arising out of this Agreement, provided for in this Agreement.

"चुकोती" का मतलब है ऋण के संबंध में सभी बकाया राशि की अदायगी, जिसमें ऋण का मूलधन, ब्याज, सभी कर, करारोपण, शुल्क, कानूनी फीस, खर्च और लागत है और इस करार से उत्पन्न होने वाले अन्य आकस्मिक व्यय, शामिल होंगे।

"Repayment Month" The month starting from the day subsequent to an EMI due date up till the date the next EMI is due.

"चुकोती महीना" एक ईएमआई की तारीख से दूसरी ईएमआई की तारीख के बीच की अवधि, ईएमआई की नियत तारीख के दिन से लेकर अगली देय ईएमआई की तारीख तक का महीना।

"Sanction Letter" means the letter, if any, issued by the Company and accepted by the Borrower sanctioning the Loan with the relevant particulars as mentioned in the letter including any such letter issued subsequently with any modification.

"ऋण अनुमोदन पत्र" का मतलब है वह पत्र जो कंपनी द्वारा "अनुसूची" का मतलब है वह सारी अनुसूचियाँ जो इस करारनामों के साथ संलग्न हैं जिनमें कंपनी ने समय-समय पर परिवर्तन किया हो। ऐसी संशोधित अनुसूची इस करार की अनुसूची की जगह ले लेगी।

"Schedule" means the Schedule appended to this Agreement, as may be amended or modified by the Company from time to time. Such amended Schedule shall supersede the Schedule to this Agreement.

"अनुसूची" का मतलब अनुसूची जो कि इस इकरानामे के साथ संलग्न है। अनुसूची कंपनी द्वारा समय समय पर संशोधित/ परिवर्तित की सकती है। ऐसी संशोधित प्रमारों की अनुसूची (जब भी कंपनी द्वारा सूचित की जाएगी) इस करार की पूर्व अनुसूची की जगह ले लेगी।

"Schedule of Charges" means the schedule issued by the Company, in respect of the fees, rates and charges applicable on the Loan and communicated along with the disbursement letter. The Schedule of Charges may be amended/ modified by the Company from time to time and such amended Schedule of Charges shall be displayed on the Company website, branches etc. The amended Schedule of Charges shall supersede the previous Schedule of Charges as and when communicated by the Company

"शुल्कों की अनुसूची" का मतलब कंपनी द्वारा जारी सूची जिसमें ऋण पर लागू शुल्क, दरों और प्रमारों के संबंध में जानकारी दी गई हो और जो कि वितरण पत्र के साथ या अन्यथा भेजी गई हो। प्रमारों की अनुसूची कंपनी द्वारा समय समय पर संशोधित / परिवर्तित की सकती है और ऐसे संशोधित प्रमारों की अनुसूची कंपनी की वेबसाइट, शाखाओं आदि पर प्रदर्शित की जाएगी। ऐसी संशोधित प्रमारों की अनुसूची (जब भी कंपनी द्वारा सूचित की जाएगी) इस करार की पूर्व प्रमार की अनुसूची की जगह ले लेगी।

"Security" shall mean such security as may be created or agreed to be created by the Borrower in favour of the Company to secure the payment of the Dues and/or the performance of the engagement under this Agreement by the Borrower.

"बंधक संपत्ति" का मतलब है ऐसी संपत्ति जो कि उधारकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति बकाया राशि के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई हो या बनाने की सहमति दी गई हो या जो कि इस करार को निष्पादित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा इस करार के तहत बनाई गई हो।

1.2 In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) words denoting the singular number shall include the plural and vice versa;
- b) the pronouns "he", "she", "it" and their cognate variations are used as interchangeable and should be interpreted in accordance with the context;
- c) heading and bold typeface are only for convenience and not for the purposes of interpretation;
- d) references to the word "include" or "including" shall be construed without limitation;
- e) reference to any party to this Agreement or any other Agreement or deed or other instrument shall include in case of individual his/ her heirs, executors, administrators.
- f) reference to an article, clause, paragraph or Schedule is, unless indicated to the contrary, a reference to a article, clause, paragraph or Schedule of this Agreement and all Schedules attached or that may be attached to this Agreement shall form an integral part hereof;
- g) "Amendment" includes a supplement, modification, novation, replacement or re-enactment;
- h) "Encumbrance" includes a mortgage, charge, lease, tenancy, leave and license, pledge, hypothecation, security interest or lien of any description whatsoever.
- i) This agreement is intended to be issued in vernacular languages. In case of discrepancy or dispute, the corresponding English version of the Loan Agreement will override other language versions.

इस करार में (जब तक कोई बात संदर्भ में अपवर्जित न हो) :-

- क) एकवचन बहुवचन को समरूप माना जाएगा।
- ख) सर्वनाम "वह", "यह" और उनके प्रकार, विनिर्देश के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिनकी संदर्भ के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए;
- ग) शीर्षक और बोल्ट टाइटफेस केवल सुविधा के लिए हैं। यह व्याख्या के प्रयोजनों के लिए नहीं है।
- घ) "शामिल का अर्थ विस्तृत भाव में समझा जाएगा।
इस करार में किसी अन्य पक्ष के लिए संदर्भ या कोई और करार या डीड या कोई अन्य साधन को उसके / उसकी / उसकी उत्तराधिकारी, निष्पादकों, व्यवस्थापकों के मामले में शामिल किया जाएगा।
- ङ) "अनुसूची" का मतलब है व सभी करार की अनुसूची और सभी संलग्न अनुसंधानों और जो इस करार के साथ संलग्न होगी इस करार का एक अभिन्न हिस्सा बनाएगी;
- च) ऋण के अनुदान के संदर्भ में शर्तें और वितरण दर्शाये हैं और जो उधारकर्ता ने स्वीकार किया है। और इसके सहित वह सभी पत्र जो कंपनी ने संशोधन करने की लिए जारी किए हैं।
- छ) "संशोधन" के अर्थ में पूरक, संशोधन, नवीनता, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं।
- ज) "बंधक संपत्ति" में बंधक, प्रभार, पट्टा, काश्तक, काश्तकारी, और लाइसेंस, प्रतिज्ञा, बंधक, गिरवी, बंधक हित या किसी भी विवरण के ग्रहणाधिकार शामिल हैं।
- झ) यह समझौता स्थानीय भाषा भाषाओं में जारी किया जा रहा है। विसंगति या विवाद की स्थिति में, ऋण समझौते के अंग्रेजी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

NOW IN CONSIDERATION OF THE PREMISES IT IS AGREED BY THE BORROWER(S) HERETO AS FOLLOWS:

उपरोक्त के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है, वे इस प्रकार हैं :-

1. The Borrower is aware that his / its loan application proposal constitutes the basis of this Agreement and of the Loan advanced/ to be advanced by the Company hereunder, and the Borrower warrants the correctness of each and everyone of the representations, statements and particulars given in the loan Application Form.
उधारकर्ता ये जानता है कि उसका / उसके ऋण आवेदन प्रस्ताव इस कंपनी द्वारा दिये गये / दिए जाने वाले ऋण और करार का आधार है। उधारकर्ता आवेदन में अपने दिए गए प्रत्येक अभ्यावेदनों, बयानों और व्यौरे की सच्चाई की वारंटी देता है।
2. The Borrower(s) agrees that the facilities granted and agreed to be granted or continued now or hereafter by the Company (hereinafter referred to as "the said facilities") shall be governed by the terms and conditions as herein contained as well as those embodied in the relative security documents
उधारकर्ता इस बात पर सहमत है कि कंपनी द्वारा दी गई / भविष्य में दी जाने वाली सुविधाएँ (जो यहां पर "उक्त सुविधाएँ" कहा जाएगी), यहां पर दी गई तथा संबंधित सुरक्षा कागजातों में सन्निहित निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होंगी।
3. The Borrower agrees and undertakes that the said facilities shall be availed / utilized exclusively by the Borrower(s) for no purposes other than those mentioned in the Borrower(s)'s proposal or as modified in Schedule B, which shall not be changed/modified by the borrower without the written consent of the Company.
उधारकर्ता इस बात पर सहमत है और वचन देता है कि उक्त सुविधाएँ उधारकर्ता (ओं) द्वारा दिए गए प्रस्तावों और जैसा कि अनुसूची- बी में संशोधित की गई है के अलावा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए ली / उपयोग नहीं की जाएगी, जो कि कंपनी की लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता द्वारा बदली / संशोधित नहीं की जाएगी।
4. The Borrower further undertakes to notify the Company in writing within two days upon occurrence of any circumstances that modify the particulars set forth in the Borrower's proposal or which may affect the Borrower's ability to comply with the said proposal. The details of this facility as to the Loan Amount, interest rates, installments, installment due date, interest computation basis, fees and charges etc. are more specifically mentioned in SCHEDULE-A
उधारकर्ता आगे ये वचन देता है कि किसी भी हालात के पैदा होने के बारे में जो कि उधारकर्ता के प्रस्ताव में निर्धारित व्यौरे को संशोधित कर सकती है या प्रस्ताव का अनुपालन करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। वो कंपनी को दो दिन के भीतर लिखित में सूचित करेगा ऋण राशि की इस सुविधा का विवरण, ब्याज दरें, किश्तें, नियत तारीख किश्त, ब्याज गणना के आधार, शुल्क एवं प्रभार आदि विशेष रूप से अनुसूची ए में उल्लेखित हैं।
5. The Borrower shall repay to the Company the said Loan by monthly or quarterly or half yearly or yearly installments as stipulated by the Company and on the respective dates and in the manner mentioned in Schedule "A" hereto.
उधारकर्ता कंपनी द्वारा नियत मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक किश्तों द्वारा और अनुसूची 'ए' में वर्णित संबंधित तिथियों और तरीके से ऋण चुकाएगा।

6. Notwithstanding anything contained herein or in any law for the time being in force, the Company may at request of the Borrower(s), permit to avail the Term Loan facility either in one lumpsum or in stages as and when the same is requested. Each such portion of the availed Term Loan will be debited to the Term Loan facility and the Company will determine, on the basis of the effective rate of interest, the number of installments and the amounts in respect of each of the installments. This will be intimated to the Borrower(s) by means of a separate communication at the time of disbursement of each portion of the availed Term Loan, each of which communications and the letter/s of request of the Borrower(s) shall become part of these presents upon such issuance and the Borrower(s) hereby agrees to be bound by the terms and conditions stipulated therein by the Company.
- इसके बावजूद यहां निहित कुछ भी या कोई कानून जो कुछ समय के लिए प्रभावी हो, कंपनी उधारकर्ता के अनुरोध पर, एक एकमुश्त या चरणों में सावधि ऋण सुविधा का लाभ लेने के लिए अनुमति दे सकती है। ऐसा प्रत्येक उठाया गया अवधि ऋण का भाग, अवधि ऋण की सुविधा में जमा हो जाएगा और कंपनी प्रभावी ब्याज दर, के आधार पर किस्तों की संख्या और किस्तों की राशि निर्धारित करेगी। ये उधारकर्ता (ओं) को सावधि ऋण के प्रत्येक हिस्से के संवितरण के समय में एक अलग संदेश के साधन के द्वारा सूचित किया जाएगा और प्रत्येक संदेश या उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध- पत्र इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा बन जाएगा और उधारकर्ता कंपनी द्वारा निर्धारित इन सभी नियम और शर्तों से सहमत होगा।
7. a) Interest shall be charged on the Outstanding in the accounts opened in respect of the aforesaid credit facilities at such interest rate (s) as specified in Schedule A as determined by the Company at the Company's sole discretion on the basis of any internal assessments or credit rating accorded to the borrower or otherwise. The Company has the right to determine different rates of interest for any future loans or additional loans granted under the facility.
7. को ब्याज उन ब्याज दरों पर उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में खोले गए खातों में बकाया पर वसूल किया जाएगा जो अनुसूची, में निर्दिष्ट है और जो कंपनी द्वारा कंपनी के किसी भी आंतरिक आकलन के आधार पर या उधारकर्ता को दी गई ऋण रेटिंग के आधार पर या अन्य तरीके से निर्धारित की जाएगी। कंपनी को ये अधिकार हैं कि वो सुविधा के तहत भविष्य में दिए जाने वाले ऋण या अतिरिक्त ऋण की दरों को निर्धारित करें।
7. b) Changes in interest rate and the schedule of charges shall be effected only prospectively. Borrower shall be deemed to have notice of change in the rate of interest or charges when the changes are notified at / displayed at the branch or published in a newspaper or in the website of the Company or made through the statement of account or by debit to the loan account or message sent to customer through email or SMS to customer's mobile phone number registered with the Company.
7. ख) ब्याज दर और शुल्क की अनुसूची में परिवर्तन केवल भावी प्रभाव के लिए किया जाएगा। उधारकर्ता को ब्याज की दर या शुल्क में परिवर्तन का नोटिस, कंपनी इन किसी भी तरीके से दे सकती है। शाखा में प्रदर्शित नोटिस या अखबार में प्रकाशित या कंपनी की वेबसाइट में खाते के बयान के माध्यम से या ऋण खाते में डाल कर या ग्राहक को ईमेल से या एसएमएस द्वारा कंपनी द्वारा दर्ज मोबाइल फोन नंबर पर सूचित किया जाएगा।
7. c) The Company shall be entitled to charge the Penal Rate of Interest in the event of:
- i. default by Borrower in payment of interest or charges or installment(s) on the Due date for the payment.
- ii. Any irregularity including non-observance or non-compliance of terms and conditions of the facility or any change in the credit rating of the borrower, for such period and on the entire outstanding or a portion thereof, as the Company deems necessary. Charging of such enhanced rate of interest shall be without prejudice to the Company's other rights and remedies.
7. ग) कंपनी निम्न स्थिति में दंडात्मक ब्याज दर लेने की अधिकारी होगी।
1. नियत तिथि पर उधारकर्ता द्वारा ब्याज राशि प्रसारों या किस्तें देने में चूक।
2. उधारकर्ता की उधार रेटिंग में कोई बदलाव या कोई अनियमितता, नियम और शर्तों का अनुपालन ना करने पर यह दंड ऐसी अवधि और संपूर्ण बकाया या उसके एक हिस्से, पर लागू होगा जैसे कंपनी आवश्यक समझे।
- ब्याज की इन बढ़ी हुई दरों को कंपनी के अन्य अधिकार और उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिया जायेगा।
- 8.a) The EMI shall comprise principal and interest computed on the basis of interest rate and the calculation method mentioned in Schedule A and rounded to the next rupee.
- 8.क) ईएमआई में मूलधन और ब्याज की गणना अनुसूची ए में उल्लेखित ब्याज दर और गणना पद्धति के आधार पर होगी। ब्याज की रकम के दशमलव अंश को पूर्ण रूपसे में वसूल किया जाएगा।
8. b) The Borrower set up an ACH /ECS payment arrangement with their Bank or will provide post dated cheques to repay the Loan installments. The Post Dated Cheques (PDCs) may be received for part of the tenure of the loan at the time of disbursement to facilitate the Borrower. The Borrower undertakes to provide additional PDCs as and when requested subsequently by the Company.
- 8 ख) उधारकर्ता उनके बैंक के साथ एक ऐसीएच/ईसीएस या कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य भुगतान व्यवस्था की स्थापना करेंगे या ऋण किस्तों को चुकाने के लिए पूर्व दिनांकित चेक प्रदान करेंगे। पूर्व दिनांकित चेक (पीडीसी) उधारकर्ता की सुविधा के लिए भुगतान के समय पर ऋण की आंशिक अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। उधारकर्ता वचन देता है कि कंपनी के अनुरोध पर कंपनी को शेष अवधि के लिए अतिरिक्त पीडीसी प्रदान करेंगे।
8. c) The Interest for the Loan will start from the Effective Date. PEMI would be netted off to cover the interest for the period prior to the start of the first EMI term..
8. ग) ऋण के लिए ब्याज 'प्रभावी तिथि' से शुरू हो जाएगा। ईएमआई कार्यकाल के प्रारंभ होने की अवधि से पहले के ब्याज को पूरा करने के लिए 'पूर्व मासिक किस्त' समायोजित की जाएगी।
9. The Borrower(s) shall also pay all the balances owing and outstanding under or at the foot of the accounts under or in respect of the said facilities including - non refundable application fees and Loan Processing Fees, all service charges, commitment charges, overdue interest at the Penalty Interest Rate, transaction charges, applicable taxes and expenses for legal and property valuation and all such monies accrued in the accounts in respect of the said facilities immediately upon demand being made by the Company or in accordance with the terms stipulated for each of the said facilities as the case may be.
- कंपनी की मांग पर, उक्त सुविधाओं की तय शर्तों के आधार पर, उधारकर्ता सभी शेष और बकाया राशि को तुरन्त चुकाएगा, जोकि खाते के अंत में दी जाती है और जिसमें गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क और ऋण प्रक्रिया शुल्क, सभी सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, दंड ब्याज दर पर अतिदेय ब्याज, लेनदेन शुल्क, लागू कर और कानूनी और संपत्ति के मूल्यांकन के लिए खर्च और उक्त सुविधाओं के लिए खाते में ऐसा सारा उपार्जित पैसा सम्मिलित है।

10. The Company may provide the statement of the Loan account to the borrower during the course of this agreement on the request of the Borrower, the Borrower agrees to pay such charges for this service as may be decided by the Company from time to time.
कंपनी उधारकर्ता के अनुरोध पर इस करार के दौरान उधारकर्ता को ऋण खाते का विवरण प्रदान कर सकता है, उधारकर्ता इस सेवा के लिए ऐसी किसी शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं जिसे कंपनी द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।
11. Borrower intending to Preclose the Loan shall have to give written notice of at least seven working days. The Company specifies and updates its policy on Preclosure of Loan from time to time and advises customers in the manner contained in clause 7b. The Company shall be entitled to levy a preclosure charge on the amount prepaid, at the rate so stipulated by the Company. Interest and any other monthly charges would be leviable till the end of the Repayment Month in which the preclosure notice expires.
अगर उधारकर्ता इस ऋण की पूर्वअदायगी करना चाहता है तो उसे कम से कम सात कार्य-दिवसों की लिखित नोटिस देना होगा। कंपनी समय-समय पर ऋण की पूर्वअदायगी के लिए अपनी नीति निर्दिष्ट और संशोधित करती रहती है और खण्ड 7(ख) में दिए गए तरीके ग्राहकों को सूचित करती है। कंपनी को पूर्वअदायगी रकम पर पूर्व अदायगी शुल्क वसूलने का हक है। ब्याज और कोई भी अन्य मासिक शुल्क उस चुकौती महीने के अंत तक लगाया जाएगा। जिस महीने में पूर्वअदायगी नोटिस की काल अवधि समाप्त होती हो।
12. The Borrower(s) hereby agrees that notwithstanding anything contained herein or in any other documents, upon the happening of any one or more of the following events, the Company may at its option demand that the entire balance outstanding at the time – including the unpaid principal, accrued interest and all unpaid charges and fees –are payable forthwith by the Borrower. The Company at its option will also be entitled to enforce its rights under the deed of guarantee (if any) executed in its favour and to enforce its rights over the security collateral upon such happening:
- Any EMI or any payments described in Clause 9 remaining unpaid and in arrears for a period of one month after the due date whether demanded or not;
 - The borrower committing any breach or default in the performance or observance of any of the terms contained herein or in the Borrower(s)'s proposal or any other documents;
 - If any of the representations or the documents furnished by the Borrower(s) in its application are found to be untrue or false or incorrect;
 - Upon entering into any arrangement or composition with its creditors or committing any act of insolvency;
 - Any execution or other similar process being levied or enforced against any part of the Borrower's property, whether secured by the Company or not;
 - If an order is made or a resolution passed for the winding up or a petition of winding up is filed or notice of meeting to pass such a resolution is issued;
 - A receiver being appointed for all or any part of the borrower's property;
 - If the borrower ceases to carry on business or threatens not to carry on business;
 - If the Borrower defaults on any of the terms and conditions of any other loan facility provided to the Borrower by any other lender.
 - If a Material Adverse Event occurs, which in the opinion of the Company is prejudicial to or imperils or is likely to prejudice or imperil the security or which affects adversely the Borrower(s)'s capacity to repay any amounts under the said facilities;
 - Death or disability of the Borrower or Coborrower that in the opinion of the Company might impact the future performance of their business
 - If the Borrower(s) does not submit the required statements or misutilises or diverts the monies or the said assets without the Company's prior permission or knowledge;

उधारकर्ता इससे सहमत है कि बावजूद इसके और जो अन्य दस्तावेजों में निहित है, एतद्वारा निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक या एक से अधिक होने पर, कंपनी के पास ये विकल्प हैं कि उस समय पर पूरा बकाये की मांग करे जिसमें बकाया मूलधन, उपचित ब्याज और सभी बकाया प्रभार एवं शुल्क शामिल हैं, और यह उधारकर्ता द्वारा तत्काल देय होगा। कंपनी के पास गारंटी के तहत (अगर कोई हो) अपने अधिकारों को लागू करने का विकल्प है और संपादक सुरक्षा संपत्ति पर अपने अधिकार लागू करने का विकल्प है :

- क- धारा 9 में वर्णित कोई भी ईएमआई या कोई भुगतान नहीं चुकाया हो और निर्धारित तिथि के बाद एक माह की अवधि से बकाया है, चाहे मांग की गई है या नहीं;
- ख. अगर उधारकर्ता, किसी निहित शर्त, या उधारकर्ता (ओं) के प्रस्ताव या किसी भी अन्य दस्तावेजों में निहित शर्तों का उल्लंघन करता है;
- ग. उधारकर्ता (ओं) द्वारा दिए गये अभ्यावेदन या अपने आवेदन में दिए गए दस्तावेज झूठे या मिथ्या या गलत पाये जाते हैं;
- घ. इसके लेनदारों के साथ किसी भी व्यवस्था या संरचना में प्रवेश करने पर या दिवालियेपन का कोई भी कार्य करने पर;
- ङ. उधारकर्ता की संपत्ति के किसी भी हिस्से के खिलाफ किसी भी निष्पादन या अन्य इसी तरह की प्रक्रिया लागू करना, चाहे वो कंपनी द्वारा सुरक्षित है या नहीं;
- च. अगर कारोबार के समापन के लिए आदेश आता है या प्रस्ताव पारित होता है या समापन के लिए याचिका दायर होती है या ऐसे प्रस्तावों को पास करने के लिए बैठक का नोटिस जारी किया गया है;
- छ. उधारकर्ता की संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जा रहा है;
- ज. अगर उधारकर्ता कारोबार को चलाना बंद करता है या न चलाने का इरादा व्यक्त करता है
- झ. अगर उधारकर्ता किसी भी अन्य ऋणदाता के किसी भी अन्य ऋण सुविधा के नियम और शर्त की अदायगी चुकता है।
- ण. अगर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल घटना होती है, जो कंपनी की राय में उधारकर्ता की वित्तीय हालत के प्रतिकूल है या संकट में डालने वाली है या बंधक संपत्ति के लिए प्रतिकूल हो सकती है या जो उक्त सुविधाओं की राशि को चुकाने के लिए उधारकर्ता (ओं) की क्षमता को प्रभावित करती है;
- ट. उधारकर्ता या सह-उधारकर्ता की मौत या विकलांगता जो कंपनी की राय में उनके व्यापार के भविष्य के प्रतिफल को प्रभावित कर सकता है।
- ठ. अगर उधारकर्ता कारोबार का समय पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं या पैसे या संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं या कंपनी की पूर्व अनुमति या जानकारी के बिना कोई अनुचित उपयोग करते हैं।

On whether any of the above events has happened or not, the opinion of the Company shall be conclusive, final and binding on the Borrower(s).
उपरोक्त घटनाओं में से किसी के भी होने या ना होने पर, कंपनी की राय, निर्णायक होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

PROVIDED ALWAYS THAT the Company may in its sole discretion refrain from forthwith enforcing its rights hereunder in spite of the happening of any of the above events and provided further that any failure or delay in exercising any right, power or privilege hereunder or under other security documents or any single or partial exercise of such right, power, or privilege shall not impair or extinguish or preclude the Company any further exercise of the same or operate as a waiver or exercise of any other power or right or privilege. The rights and remedies of the Company are only cumulative and not exclusive.

हमेशा ये मानते हुए कि कंपनी अपने विवेकानुसार उपरोक्त किसी घटना के होने पर दिए गए अधिकारों शक्तियों या विशेषाधिकारों का तत्काल या विलंब से प्रयोग करेगी। कंपनी की क्रिया में या किसी भी अन्य बंधक सुरक्षा दस्तावेज के अमल में विलंब या विफलता से कंपनी के भावी अधिकारों व शक्तियों पर कोई बाधा या हानी नहीं आयेगी। कंपनी के अधिकार संघर्षी हैं और ये पूर्व कार्यवाही से किसी तरह से सीमित नहीं होंगे।

13. Notwithstanding anything stated elsewhere in the Agreement, the Borrower(s) expressly agrees that the said facilities may be cancelled at the Company's discretion for any reason whatsoever such as Company's policy or Borrower(s) conduct of the accounts and on receiving such a notice from the Company, the Borrower(s) hereby agrees to repay all the monies due to the Company within seven days
इकरारनाम में कहीं भी उपरोक्त कहे गए के बावजूद, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत है कि कंपनी अपनी नीति के तहत अपने विवेक पर बिना किसी कारण के या उधारकर्ता के खातों के आचरण पर और उधारकर्ता द्वारा कंपनी से इस तरह से एक नोटिस प्राप्त होने पर इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता कंपनी, को सात दिन के भीतर सारा पैसा चुकाये।
- 14 a) The Hypothecated goods mentioned in Schedule C, are hypothecated / property mentioned in Schedule D is mortgaged and charged as aforesaid as security for due repayment by the borrower to the Company of the Loan of Amount specified in Schedule A, by the installments on the days and in the manner aforesaid together with all interest due and payable thereon (including compound interest and additional interest payable hereunder) and also all service charges, commitment charges, transaction charges, applicable taxes and expenses for legal and property valuation, expenses incurred by the Company to the protection, preservation, defense, perfection and realization of value from this security, and all such monies accrued in the accounts in respect of the said facilities
14क) इस ऋण को सुरक्षित करने के लिए अनुसूची सी में वर्णित गिरवी वस्तुएं और अनुसूची डी में वर्णित अचल संपत्ति को उधारकर्ता, कंपनी के लिए गिरवी रखता है। कम्पनी द्वारा उधारकर्ता को दिये गये ऋण का विवरण अनुसूची ए में दिया गया है। ऋण को उक्त किस्तों में निश्चित तारीख पर, निर्दिष्ट तरीके से बकाया ब्याज निर्धारित चक्रवर्ती ब्याज व अतिरिक्त सहित व सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, लेन-देन शुल्क, लागूकर, कानूनी व संपत्ति के आकलन के खर्च, गिरवी संपत्ति के संरक्षण और संपत्ति की वसूली के खर्च और इस ऋण सुविधा के संबंधित सभी खातों में संचित देनदारियों सहित चुकाया जायेगा।
- 14 b) Provided however, that where the Company has at the specific request of the Borrower/s and in its sole discretion communicated in writing to the Borrower/s that in respect of any specific facility/limit, this charge by way of hypothecation/mortgage will not operate, such facility/limit shall be deemed as not having been secured by hypothecation/mortgage by the Borrower/s as stated hereinabove notwithstanding the incorporation such specific facility/limit in the Schedules hereunder written.
14ख) यदि कंपनी, उधारकर्ता के निवेदन पर और अपने विवेकानुसार इनमें से कोई गिरवी रखी संपत्ति को गिरवी के आभार से विमुक्त कर देने के लिए लिखित तौर से सूचित करता है तो वह विनिर्दिष्ट संपत्ति इस इकरारनाम में लिखित गिरवी के आभार से मुक्त होगी।
15. a The borrowers declared that all the said assets (movable/ immovable) hereunder secured are the absolute property of the Borrower(s) at its sole disposal and free from any prior encumbrances, attachments, charges and that all further assets that may be secured shall likewise be unencumbered, absolute and disposable property of the Borrower(s). The Borrower(s) further confirms that the said assets are not subject matter of any proceedings or attachments under the Income Tax Act 1961 or any Sales Tax laws or under any other like fiscal laws for the time being in force.
15.क उधारकर्ता ये घोषित करते हैं कि ऐसी सभी संपत्ति (चल / अचल) जो कि यहां गिरवी है, पूर्णतया उधारकर्ताओं की संपत्ति है और पूर्णतया पूर्वाभार, स्वतंत्र हैं और किसी भी मामले में जब्त नहीं हैं और आगे की सभी परिसंपत्तियों जो कि गिरवी रखी जाएंगी वो भी इसी तरह बिना किसी भार के और पूर्णतया उधारकर्ता की संपत्ति है। उधारकर्ता इसकी पुष्टि करता है कि ये संपत्तियां आयकर अधिनियम 1961 या राजकोषीय कानूनों के तहत या किसी भी तरह के बिक्री कर कानूनों के तहत या किसी अन्य वित्तीय कानून के तहत किसी भी कार्यवाही या वसूली के विषय नहीं हैं।
- 16 a) The Borrower shall not during the continuance of this Agreement sell, remove, dispose of, pledge, hypothecate or otherwise charge, encumber, or in any manner part with the possession of the Borrower do or permit to be done any act whereby the security hereinbefore expressly given to the Company shall in any way be prejudicially affected or whereby any distress or attachment or execution may be levied thereon by any creditor or other person including any government or municipal authority or body.
16क उधारकर्ता इस करार के जारी रहने के दौरान किसी भी तरीके से उधारकर्ता के कब्जे के किसी भी भाग को बेचने, हटाने, रहन, गिरवी, अन्यथा प्रभार, भारग्रस्त नहीं करेगा और ऐसे किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देगा जिससे कंपनी के पास दी गई बंधक संपत्ति किसी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो और किसी भी लेनदार, अन्य व्यक्ति या किसी सरकार या नगर निगम या प्राधिकरण द्वारा उस पर किसी तरह का अधिकार स्थापित किया जा सके।
- 16 b) The Borrower shall notify the Company at once of any change in his present address given in Schedule B.
16ख उधारकर्ता कंपनी को अपने वर्तमान पते जैसा कि अनुसूची- बी में दिया गया है के बदलाव में सूचित करेगा।
- 17 a) In default of the Borrower doing so, the Company may (but shall not be bound to) keep in good and proper repair, working order and condition and render marketable the hypothecated goods or effect or renew such insurance and pay all rates, taxes, assessments dues and outgoings payable by the Borrower. Any premium paid by the Company or any other amount paid by the Company hereunder and any costs, charges and expenses whatsoever incurred by the Company shall be repaid by the Borrower on demand forthwith. And until repayment with interest at the rate aforesaid, the same shall be a charge on the hypothecated goods. All sums received under such insurance shall be applied in or towards liquidation of the amount for the time being due hereunder to the Company.
17क) उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर, कंपनी (के पास यह विकल्प होता है कि) गिरवी रखी गये माल को इस इकरारनाम की अदायगी में उचित मरम्मत करने के लिए, चालू और काम करने की हालत और बिक्री योग्य करने के लिए कंपनी बीमा दरों, करों, व अन्य देय रकम का भुगतान करे। कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी बीमाशुल्क या कंपनी द्वारा दिया गयी कोई भी राशि और कंपनी द्वारा वहन की गई कोई भी लागत, प्रभार और खर्च उधारकर्ता से मांगे जाने पर कंपनी को चुकाये जाएंगे। और उपरोक्त दर पर ब्याज सहित चुकाये जाने तक, वो गिरवी रखी गई वस्तुओं पर प्रभारित होगा। ऐसे बीमा के तहत प्राप्त सभी राशि को कंपनी की कुल बकाया रकम के भुगतान के लिए इस्तमाल किया जायेगा।
- 17 b) In case the hypothecated assets come into possession of the Company or of any receiver appointed by the Company, the Company shall not in any way be responsible for the quantity, quality, weight, value and final condition of the said assets and/ or for any loss, destruction or deterioration or damage occasioned by theft, pilferage, robbery, fire, riots and civil commotion, malicious damages, howsoever may this arise including any act, negligence, omission, default of the officers of the Company or its agents.
17ख) अगर गिरवी रखी गई संपत्तियां कंपनी के कब्जे में आती हैं या कंपनी द्वारा कोई आदाता नियुक्त करता है तो, उस संपत्ति की मात्रा, गुणवत्ता, वजन, कीमत और संपत्ति के अंतिम हालात के लिए और/ या किसी नुकसान या हास या चोरी से हुए नुकसान, चाहे यह किसी भी लापरवाही, चूक, कंपनी के अधिकारियों या एजेंटों की असफलता से उत्पन्न हुई हो तो कंपनी किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी।
- 17 c) The Borrower undertakes to indemnify the Company against every and any kind of loss or damage by reason of damage to or destruction or loss of the hypothecated goods from any cause whatsoever or by reason of any claims by third parties.
17ग) गिरवी रखी गई वस्तु को किसी भी कारण या तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी दावे के कारण से क्षति या नुकसान हुआ हो तो उसके लिए उधारकर्ता कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता है।

- 17 d) The Borrower(s) shall at all times indemnify and keep indemnified the Company from and against all suits, proceedings, costs, charges, claims and demands whatsoever that may at any time arise or be brought or made by any person against the Company in respect of any acts, matters and things lawfully done or caused to be done in connection with the said assets.
- 17घ) उधारकर्ता इन संपत्ति से जुड़े कंपनी को सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, लागतों, शुल्कों, दावों और मांगों से जो कि किसी भी समय उत्पन्न हो या कंपनी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके किसी कार्य, मामले और विधिवत किए गए कार्यों के संबंध में किया हो, के लिए क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति रखेगा।
18. The Company shall be entitled to put up and the Borrower hereby gives his consent to the Company to put up the Company's, name board on the hypothecated goods or at the place where the hypothecated goods are or may be stored, at such time and in such manner as the Company may deem proper.
कंपनी गिरवी रखे गए सामान या गिरवी रखी गई वस्तु जहां भी संग्रहित की गई हो, जैसा कंपनी उचित समझे, अपने नाम का बोर्ड लगाने की हकदार होगी और उधारकर्ता इसके लिए अपनी निःसंकोच सहमति देगा।
19. The Borrower will at all times pay all rent, rates, taxes, assessments, dues, and outgoings payable in respect of hypothecated goods / mortgaged property and also in respect of any premises wherein the same may for the time being be installed or kept or be and will also keep the hypothecated goods in a marketable state and in good and substantial repair and condition and in thorough working order and will not make any alterations therein without the previous written consent of the Company.
उधारकर्ता गिरवी वस्तुओं/बंधक संपत्तियों के संबंध में हर समय सारे किरायों, दरों, करों, आकलन, बकाया, और व्यय और संबंधित किरायों का भुगतान करेंगे और गिरवी रखी गई वस्तुओं को विक्रय हालत और अच्छे और पर्याप्त मरम्मत और चालू हालत में रखेगा और बिना कंपनी के पूर्व लिखित अनुमति उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा।
20. The Borrower shall at his own expense insure using a General Insurer acceptable to the Company, and keep insured the hypothecated goods / mortgaged property and also the premises wherein the same are installed or lying against fire and all such other risks as the Company shall from time to time require for the full market value thereof in one or more insurance offices approved by the Company and shall deliver to the Company the policies of insurance duly assigned to the Company and shall maintain such insurance throughout the continuance of the security and deliver to the Company the renewal receipts there for.
उधारकर्ता अपने खर्चे पर कंपनी को स्वीकार्य सामान्य बीमा कंपनी या कंपनियों से गिरवी रखी गई वस्तु/बंधक संपत्तियों और उस परिसर को भी जहां पर ये स्थापित हो आगे और उन सभी खतरों के लिए बीमाकृत रखेगा। कंपनी जैसे समय समय पर निर्देश दे। यह बीमा संपत्ति के पूरे बाजार मूल्य पर की जायेगी और उधारकर्ता कंपनी को विधिवत बीमा पालिसी सौंपेगा और गिरवी रखे जाने तक लगातार उसको बीमित रखेगा और उसकी नवीनीकरण रसीद कंपनी को देगा।
21. The Borrower shall at his own expense get the Lives of the Borrower and Coborrower insured as may be required by the Company. Besides the Life risk, the Insurance should cover the risks of Permanent or Partial Disability and any other covers as specified by the Company, and shall deliver to the Company the policies of insurance duly assigned to the Company and shall maintain such insurance throughout the continuance of the security and deliver to the Company the renewal receipts there for.
उधारकर्ता अपने खर्चे पर उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के जीवन को बीमित करवायेगा जैसा कि कंपनी निर्दिष्ट करे। जीवन बीमा के अलावा पूर्ण या आंशिक विकलांगता के खतरे को या कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अन्य दूसरे खतरे का भी बीमा कराया जायेगा और उधारकर्ता कंपनी को विधिवत बीमा पालिसी सौंपेगा और गिरवी रखे जाने तक लगातार उसको बीमित रखेगा और उसकी नवीनीकरण रसीद कंपनी को देगा।
- 22 a) The Borrower(s) irrevocably constitutes and appoints the Company to be its Attorney to do and execute for and in the name and on behalf of the Borrower(s) all or any of the acts, deeds and things that is to say to take over and carry on the business, to sign, register, file any applications, forms, contracts, agreements, transfers, acceptances, receipts, and any other documents and to demand, receive, sign and endorse all negotiable instruments, debts, dividends, mandates or other orders for payment of money by whatever nature or delivery, of property, to transfer or realize or deal with any goods, machinery and other movables or immovables, to appoint selling agents, to sell the shares, debenture, stocks etc., of any Company in which the Borrower(s) holds stocks, etc., to attend and represent before any authority or tribunal and for the purpose to sign, execute and deliver all such documents and make all such declarations as may be necessary, generally to act in the premises as fully and effectually with all intents and purposes and to do all things as are necessary and which the Borrower(s) himself would do if personally present for all and any of the purposes aforesaid to appoint a substitute or substitutes,
- 22क) उधारकर्ता अपनी ओर से और अपने अन्य उधारकर्ता (ओं) की ओर से कंपनी को अपना अपरिवर्तनीय मुख्तार नियुक्त करती है जो कि कोई भी काम करने के लिए, या कार्यों का निष्पादन करने के लिए जैसे कि व्यापार का अधिग्रहण या व्यापार चलाने के लिए, हस्ताक्षर, पंजीयन या कोई भी आवेदन दायर करने के लिए, फार्म, अनुबंध, समझौतों, स्थानान्तरण, स्वीकृतियां, रसीदों और किसी भी अन्य दस्तावेज फाइल और मांग करने, प्राप्त, हस्ताक्षर और पैसे के भुगतान के लिए सभी लिखत, कर्ज, लाभांश, जनादेश या अन्य आदेशों का समर्थन करने के लिए जो कुछ भी प्रकृति या साधन से, संपत्ति के हस्तांतरण या महसूस हो या किसी भी माल, मशीनरी और अन्य चल संपत्ति या अचल संपत्ति के साथ सौदा, विक्री एजेंट नियुक्त करने के लिए, किसी भी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, शेयर आदि बेचने के लिए करने के लिए जिसमें उधारकर्ता (ओं) के स्टॉक आदि हो, किसी भी अधिकारी या न्यायाधिकरण से पहले और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर निष्पादित और वितरित करने के उद्देश्य के लिए भाग लेने और प्रतिनिधित्व करने के लिए और ऐसी सभी घोषणाओं करने के लिए जो जरूरी हो, साधारणतः परिसर में कार्य करने के लिए सभी आशयों और उद्देश्यों के साथ के जो आवश्यक हैं और जो कि उधारकर्ता खुद उपस्थित होकर करता और उसके द्वारा नियुक्त कोई भी स्थापन या स्थापनों द्वारा किया जाता है, उपरोक्त प्रयोजनों के लिए किया जाता है, अधिकृत करती है।
- 22 b) The Borrower(s) hereby ratifies and confirms all the acts, things, deeds performed or to be performed by the Company or its nominee or its substitutes in pursuance of any of the aforesaid powers and the powers hereby conferred shall not be determined or affected by the fact of the Borrower(s) acting personally or through another in the premises.
- 22ख) उधारकर्ता (ओं) एतद्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत में कंपनी या कंपनी के नामांकित या उसके स्थापन द्वारा किए गए कार्यों को संपुष्टि करता है और जो कि उधारकर्ता (ओं) द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों से प्रभावित नहीं होंगे।
- 22 c) The aforesaid powers which may be exercised by the Company in its sole discretion but not obliged to do so shall subsist in favour of the Company till all the dues are paid by the Borrower(s).
- 22ग) उक्त शक्तियां जो कि कंपनी अपने विवेकाधिकार से प्रयोग करेगी परंतु जब तक उधारकर्ता (ओं) द्वारा पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक कंपनी उक्त शक्तियों का अपने विवेकानुसार प्रयोग करेगी और ऐसा करने के लिए कंपनी पर इससे किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं रहेगी।
- 23 a) The Borrower shall, whenever required by the Company, give full particulars to the Company of financial condition and business of the Borrower, all the assets of the Borrower and of the hypothecated goods and of all records and books of accounts and vouchers of the Borrower in reference thereto and give and execute any necessary documents required to give effect to this security.
- 23क) कंपनी जब भी मांग करे, उधारकर्ता कंपनी को अपनी वित्तीय हालत और व्यापार, उधारकर्ता की सभी संपत्तियां और गिरवी रखी गई वस्तुएं और उनके सभी अभिलेख और लेखा पुस्तकों और इसके अलावा ऋण लेने के वाउचर और सभी अन्य आवश्यक कागजात जो कि इस जमानत को प्रभाव देने के लिए है, का पूरा-पूरा ब्योरा देगा।

- 23 b) The Borrower hereby irrevocably empowers the Company and any person or persons from time to time authorized by the Company in that behalf and without previous notice to the Borrower to enter the said premises or any other premises whatsoever for the purpose of inspection or valuation or for taking possession of the hypothecated goods. All costs, charges and expenses incurred by the Company and incidental to such inspection and valuation shall be paid to the Company, forthwith on demand (the Company's statement being conclusive) and until payment shall with interest at the rate aforesaid be a charge upon the hypothecated goods. Any such valuation shall be conclusive and binding on the Borrower both in and out of Court.
- 23ख) उधारकर्ता एतद्वारा इस कंपनी को अधिकार देती है कि कंपनी या कंपनी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति को कंपनी की ओर से बिना पूर्व सूचना के उधारकर्ता के परिसर या किसी अन्य परिसर में निरीक्षण या मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए या गिरवी रखी गई माल का कब्जा लेने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। इस निरीक्षण या मूल्यांकन पर कंपनी द्वारा की गई सभी लागत, शुल्क और खर्च मांग पर तुरंत कंपनी को भुगतान किया जाएगा (इस संदर्भ में कंपनी का विवरण निर्णायक होगा) और गिरवी माल पर भुगतान पूर्वोक्त ब्याज दर के साथ लिया जाएगा। ऐसा मूल्यांकन निर्णायक होगा और अदालत में और अदालत के बाहर दोनों जगह उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
24. The Borrower shall at all times during the continuance of this security keep and maintain such margin of security in favour of the Company (hereinafter called "the said margin") as may be required by the Company from time to time. If and so often as the said margin shall fail to be maintained, and then the Borrower shall forthwith (according as the Company may require) either hypothecate to the Company further goods or tangible movable property approved by the Company and of sufficient value to make up the deficiency or shall reduce the amount for the time being due to the Company by a cash payment so as to maintain the said margin.
- उधारकर्ता इस ऋण सुविधा के जारी रहने के दौरान हर समय कंपनी के पक्ष में सुरक्षा संपत्ति की ऐसी मार्जिन बनाए रखेगी जैसा समय – समय पर कंपनी मांग करे (जिसे बाद में "मार्जिन" कहा जाएगा)। अगर ऐसी मार्जिन की मात्रा कम हो जाए तो उधारकर्ता तत्काल (कंपनी की आवश्यकता के अनुसार) या तो इस कमी को पर्याप्त मूल्य से दूर करने की कंपनी को कंपनी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त वस्तुएं या मूल चल संपत्ति गिरवी रखेगा या ऐसी मार्जिन बनाये रखने के लिए कंपनी को नकद भुगतान के जरिए कुछ समय के लिए कंपनी को देय राशि को कम करेगा।
25. The Borrower agrees to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed to be due from him to the Company under this agreement a statement of account made out from the books of the Company and signed by Manager / Accountant and/ or other duly authorized officer of the Company without the production of any other voucher, document or paper.
- उधारकर्ता इस करार के तहत सहमत है कि कंपनी के प्रबंधक/लेखाधिकारी या अन्य अधिकृत अफसर द्वारा दिया गया उधार का विवरण या उधारकर्ता द्वारा देय राशि के आंकलन को निर्णायक और सही मानेगा और वह अतिरिक्त वाउचर या दस्तावेज की मांग नहीं करेगा।
26. The Borrower shall inform the Company promptly of any notice or intimation received from any Government, Semi-Government, Revenue, Municipal or local or other authorities regarding any default, delay etc., by the Borrower in payment of any dues or in the performance of the Borrower's obligations towards them.
- किसी भी बकाया के भुगतान में देरी या दायित्वों को निभाने से चूक हेतु उधारकर्ता को किसी सरकारी, अर्धसरकारी, राजस्व, नगर या स्थानीय या अन्य किसी अधिकारियों से प्राप्त कोई नोटिस या सूचना के बारे में उधारकर्ता तुरंत कंपनी को सूचित करेगा।
27. The Borrower(s) agrees and gives consent without any demur or protestation that
- उधारकर्ता इससे सहमत हैं और बिना किसी आपत्ति के अपनी सहमति देता है कि:
- A) The Company has the right to share the details of the Loan application and the said facility with any one or more Credit Information Bureaus operating in India or with other credit granters, with their normal data privacy safeguards.
- कंपनी को अधिकार है कि वह ऋण आवेदन और उक्त सुविधा का ब्यौरा या आंकड़े भारत में काम करने वाले किसी भी एक या एक से अधिक ऋण सूचना विभागों या अन्य ऋण देने वालों को दे सकता है।
- B) In the event of default in repayment of any monies or in the performance or breach of any terms or obligations, the Company or any other agency authorized by the Company will have an absolute discretion or unqualified right, power and authority to disclose or publish in public domain names of the Borrower(s) and or its directors / partners / office bearers / constituents / members as DEFAULTER in such manner as they think fit;
- किसी भी पैसे के भुगतान में चूक के संबंध में या किसी भी निबंधन या दायित्वों में या प्रदर्शन का उल्लंघन करने पर, कंपनी या कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को उधारकर्ता (ओं) और उसके निदेशकों/ भागीदारों/पदाधिकारी/घटक/सदस्यों को ऋण के दोषी के रूप में सार्वजनिक डोमेन में जैसा वो उचित समझे, खुलासा या प्रकाशित करने का अधिकार होगा।
- C) The Company has the right to share data on customer profile and financial use data with any other entity, for consideration or otherwise, for developing or marketing products, for research and/ or for developing market entry strategies, analytics and planning.
- कंपनी को अधिकार है कि वह अपनी आय की वृद्धि के लिए या अन्यथा, उत्पादों के विकास या विपणन के लिए, अनुसंधान के लिए और/ या बाजार में प्रवेश की रणनीति, विश्लेषिकी और योजना विकसित करने के लिए किसी अन्य संस्था के साथ ग्राहक विवरण और वित्तीय उपयोग तथ्य का उपयोग करे।
28. The Borrower(s) agrees that it shall not induct any person/s who is a director on the Board of a company which is/has been identified as a willful defaulter and that in case such a person is found to be on the Board or a Partner of the Borrower(s) it would at once take expeditious and effective steps for removal of such person/s from its Board.
- उधारकर्ता इस बात पर सहमत है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि ऐसी कंपनी के बोर्ड में निर्देशक है जोकि खुदराय दोषी माना गया हो, को शामिल नहीं करेगा और अगर इस मामले में इस तरह किसी एक व्यक्ति को उधारकर्ता(ओं) के बोर्ड में या साझेदार होना पाया जाता है तो वह तत्काल अपने बोर्ड से ऐसे व्यक्ति/ओं को हटाने के शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगी।
29. The Borrower(s) agrees that the terms and conditions contained herein and/or the security created on the said assets/properties shall ensure, extend, subsist and be valid and enforceable for the entire aggregate limit as also for all interest, costs, charges, expenses and other monies, indebtedness and liabilities which may from time to time become due and remain unpaid to the Company including any of the new facilities within the aggregate facility limit, notwithstanding anything contained to the contrary in any of the relative documents or the granting of increased or totally new facilities or fresh accounts being opened in respect of existing or revised facilities or accounts becoming nil or coming into credit or inter changeability or cancellation of certain facilities within the aggregate limit granted or agreed to be granted or continued by the Company to the Borrower(s) under these presents.

उधारकर्ता सहमत है कि निहित नियम व शर्तें और / या प्रतिभूतियाँ और / या बंधक संपत्ति, तब तक मान्य और भारग्रस्त रहेंगी जब तक ब्याज, लागत, शुल्क, खर्च या अन्य ऋण या देनदारी की रकम कंपनी की तरफ से देय होते हुए बकाया हों इसमें कुल आर्थिक सुविधाओं के तहत सभी नई व पुरानी या संशोधित या प्रस्तावित आर्थिक सुविधाएँ या नये एकाउन्ट शामिल हैं, जो कंपनी द्वारा उधारकर्ता को उपलब्ध कराये गए हैं। या कंपनी जिन्हें उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो।

30. The Company shall be entitled to adjust, appropriate or set-off or exercise lien of or on all monies, securities, goods, instruments held to the credit or for the benefit of the Borrower(s) on any account or coming into the control or possession of the Company in any of its branches whether for any specified purpose or otherwise, with or without any particular mandate and whether singly or jointly towards the discharge and satisfaction of the liability of the Borrower(s).
कंपनी को समायोजित करने, स्वायत्तीकरण करने, बंद करने, प्रयोग ग्रहणाधिकार करने या सभी पैसों, प्रतिभूतियों, वस्तुओं, उधार पर आधारित साधनों या किसी भी खाते पर उधारकर्ता (ओं) के लाभ या कंपनी के किसी भी शाखा के नियंत्रण या कब्जे में आने वाले चाहे वो निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए या नहीं, किसी विशेष जनादेश के साथ या बिना और अकेले या संयुक्त रूप से उधारकर्ता (ओं) के दायित्व के निर्वहन और संतुष्टि के लिए दावेदार है।
31. The Borrower hereby agrees that the Company may hold the hypothecated goods/ mortgaged properties and the proceeds thereof not only as a security for the said loan but also as collateral Security for any other moneys now due or which may at any time be due from the Borrower to the Company whether singly or jointly with another or others and that in addition to any general lien or similar right to which the Company may be entitled by law, the Company may at any time and without notice to the Borrower combine or consolidate all or any of the Borrower's Account and set off or transfer any sum or sums standing to the Credit of any one or more of such account in or towards the satisfaction of any of the liabilities of the Borrower to the Company on any other account or in any other respect whether such liabilities be actual or contingent, primary or collateral and several or joint.
उधारकर्ता एतद्वारा सहमत है कि कंपनी का अधिकार गिरवी रखी वस्तुओं/बंधक संपत्तियों तथा उनसे प्राप्त राशि को ना केवल सुरक्षा के रूप में परन्तु जमानत सुरक्षा के रूप में किसी भी अन्य उधार सुविधा के लिए जो कि उधारकर्ता द्वारा कंपनी को अब या भविष्य में बकाया हो चाहे अकेले या संयुक्त रूप से दूसरे उधारकर्ता के साथ हो के उपर बना रहेगा। इन अधिकारों के अतिरिक्त और किसी भी अन्य कानून के तहत या कंपनी के सामान्य ग्रहणाधिकारों के अंतर्गत कंपनी उधारकर्ता की किसी भी उधार सुविधा (जो उसके एकल या संयुक्त नाम में हो या उसके द्वारा गारंटी की गयी हो) को किसी भी समय बिना नोटिस के वापस करने के लिए उधारकर्ता के किसी भी खातों से जमा रकम या राशियाँ हस्तांतरण कर सकती है।
32. The Borrower(s) shall be liable to the Company notwithstanding any change in the legal status or constitution of the Borrower(s) whether by way of amalgamation, merger, takeover, dissolution, winding up, insolvency nationalization or otherwise howsoever either by operation of law or by act of the parties but shall remain in full force and be valid and enforceable against the Borrower(s) including the entities who shall come into existence upon such change or constitution as if they were the parties to these presents since its inception till full discharge of all the obligations or payments to the Company.
यह सभी शर्तें उधारकर्ता (ओं) या उनके परिवर्तित संस्थाओं पर ठीक उसी प्रकार प्रभावी, वैध और प्रवर्तनीय होंगी जैसे कि वे स्वयं इस इकरारनामों की शुरुआत से इसका पक्ष हों और जब तक कंपनी को पूर्ण भुगतान नहीं मिल जाता यह शर्तें लागू रहेंगी।
33. If the Borrower(s) be more than one individual or entity, each one or any of them is hereby authorised by the others of them to admit and acknowledge their liability to the Company by any payment into the account or by way of writing or in any manner otherwise and any such acknowledgement of liability or part payment by anyone or more of them shall in addition to his / their personal capacity be deemed to have been made on behalf of each or any of them for the purposes of Sections 18 and 19 of the Limitation Act, 1963.
अगर उधारकर्ता एक से ज्यादा व्यक्ति या संस्था हो तो प्रत्येक या उनमें से किसी एक के द्वारा कंपनी के प्रति खाते में किसी भी भुगतान या लेखन के माध्यम से या अन्यथा किसी भी तरीके से और ऐसी दायित्व का स्वीकार्य या किसी के द्वारा या उनमें से अधिक की व्यक्तिगत क्षमता के द्वारा दिया गया आंशिक भुगतान परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 और 19 के प्रयोजनों के तहत किया जाएगा।
34. Nothing herein contained shall prejudice any rights or remedies of the Company in respect of any other present or future security, guarantee, obligation or decree for any indebtedness or liability of the Borrower (s) to the Company.
यहाँ ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो कंपनी के किसी भी अधिकार या उपाय पर किसी भी अन्य वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा के संबंध में, गारंटी, दायित्वों या डिक्ली उधारकर्ता (ओं) के कंपनी के लिए किसी भी कर्ज या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
35. The Borrower confirms that he has not borrowed any moneys from any other Company or Co-operative Society or from any other source whatsoever and whomsoever except as declared in the Loan Application proposal and further that so long as the Borrower continues to be indebted or liable to the Company in the said Loan Account or in any other Account or manner the Borrower shall not without the previous written consent of the Company borrow any moneys from any other Company or Co-operative Society or financier or from any other source
उधारकर्ता इसकी पुष्टि करता है कि उसने किसी अन्य कंपनी या सहकारी संस्था या किसी अन्य स्रोत से कोई भी ऋण नहीं लिया है और आवेदन पत्र में घोषित को छोड़कर और आगे भी उधारकर्ता जितने समय तक कंपनी के उक्त ऋण खाते में ऋणी है या दायित्व में है और अन्य किसी भी खाते या तरीके से, उधारकर्ता बिना कंपनी के लिखित अनुमति के किसी अन्य कंपनी या सहकारी संस्था या वित्तदाता या किसी अन्य स्रोत से कोई पैसा उधार नहीं लेगा।
36. The Company shall arrange the Life Insurance Policy for the borrower which shall be assigned to the company but the same shall not absolve the borrower/ co-borrower or their legal heirs from paying the outstanding debts in case of the death of the insured.
कंपनी उधारकर्ता के लिए जीवन बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करेगा जो कि कंपनी को सौंपी जाएगी लेकिन यह बीमा पॉलिसी बीमाधारक की मौत के मामले में बकाया ऋण का भुगतान करने से उधारकर्ता/सह उधारकर्ता या उनके कानूनी वारिसों को विमुक्त नहीं करेगा।
37. The Borrower/s hereby gives free and unambiguous consent for the said facilities granted or agreed to be granted or continued as stated hereinabove by the Company to the Borrower/s being recovered as a public demand / monies in terms of any Legislation relating to recoveries thereof, where such consent is necessary under such legislation.
उधारकर्ता ऐसी प्रदान की गई या की जाने वाली सुविधाओं को अपनी मुफ्त और सुस्पष्ट सहमति देता है या कंपनी उधारकर्ता/ओं के लिए जैसे कहा गया है जारी रखेगी जो कि किसी भी कानून के संदर्भ में सार्वजनिक मांग/पैसे के रूप में वसूला जाएगा जो कि वसूलियों से संबंधित होगा, जहां कानून के तहत ऐसी सहमति आवश्यक है।
38. All Taxes, fees and charges under law on fees, charges, installments, interest or any other amount payable by Borrower to the Company, shall be recovered from the Borrower, at rates prescribed from time to time.
सभी करों, शुल्क और कानून के तहत प्रभार शुल्क, प्रभारों, किश्तें, ब्याज या उधारकर्ता द्वारा कंपनी (के प्रति देय अन्य कोई) राशि, समय – समय पर निर्धारित दरों पर, उधारकर्ता से वसूली जाएगी।

39. Any demand or notice to be made or given to the Borrower(s) hereto may be made or given by Fascimile (Fax), Courier or by leaving the same at or by registered post acknowledgment in an envelope addressed to the Borrower(s) at the address mentioned in Schedule B and any / every such demand or notice shall be deemed to have been received as the case may be at which it was left or at which it would have been delivered in the ordinary course of post at the above address.
उधारकर्ता से की जाने वाली कोई भी मांग या दी जाने वाली कोई भी सूचना या तो फैक्स से भेजी जाएगी या कोरियर से या वहां छोड़कर या या एक लिफाफे में पंजीकृत डाक रसीद द्वारा अनुसूची बी में उल्लिखित उधारकर्ता (ओं) के पते पर भेजी जाएगी और ऐसी कोई / प्रत्येक मांग या सूचना प्राप्त मानी जाएगी जहाँ वो छोड़ दी गई हो या जिस उक्त पते भेज दी गई हो।
40. It is hereby expressly agreed that the Company shall be at liberty to assign the debt and the benefit of these presents and the security for the advance and the security documents to the Industrial Development Company of India / Small Industries Development Company of India / National Company for Agriculture and Rural Development or any other Refinancing Entity(hereinafter referred to as the "Refinancing Agency") as security for any refinance obtained by the Company from said Refinancing Agency in respect of the loan agreed to be advanced by the Company to the Borrower and the Borrower shall if and whenever required by the Company to do so, at the Borrower's own expenses do and execute and join in doing and executing all such acts, things, deeds, documents, or assurance as the Company may require, for the effectuation of such assignment.
एतद्वारा यह सहमति व्यक्त की है कि कंपनी पूर्ण स्वतंत्रता है कि ऋण की रीफाईनेंस करने के लिए यह ऋण, इससे जुड़े सभी आय / लाभ अग्रिम सुरक्षा और सुरक्षा दस्तावेजों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) / भारतीय लघु उद्योग विकास कंपनी (एस.आई.डी.बी.आई.) / कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (नाबारड) या ऋण संबंधित रीफाईनेंस एजेंसी की अभिहस्तांकन कर सके और उधारकर्ता अपने खर्चे पर कंपनी को जब भी आवश्यकता होगी ऐसा करेगा और सभी दस्तावेज निष्पादित करेगा और ऐसे सभी कार्य, बातें, कर्म, दस्तावेजों, या आश्वासन जो भी कंपनी को ऐसे किसी अभिहस्तांकन को प्रभावी करने के लिए आवश्यकता है, करने में शामिल होगा।
41. Nothing herein contained shall be deemed to limit or affect prejudicially the rights and powers of the Company under any law or under any other documents executed or to be executed by the Borrower in favour of the Company.
यहाँ निहित कोई भी व्याख्या किसी भी कानून के तहत या किसी भी अन्य दस्तावेजों जो कि कंपनी के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए हैं के तहत कंपनी की शक्तियों को सीमित करेगा या प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
42. In case of any part of this Loan Agreement is struck down or deemed null and void by any law or regulation for the time being in force, then rest of the Agreement shall survive and shall remain executable.
यदि किसी कानून या विनियम के अंतर्गत में इस ऋण समझौते का कोई हिस्सा अमान्य समझा जाए, तो बाकी करार अनअहत रहेगा और निष्पादय रहेगा।
43. Any dispute or differences arising under this Agreement shall be referred to the Arbitration of a Sole Arbitrator at Delhi, to be appointed in accordance with the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties.
इस करार के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद या मतभेदों को मध्यस्था और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त किए गए दिल्ली में एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। इस मध्यस्थ का आदेश पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
44. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India and competent courts at Delhi shall have exclusive jurisdiction over this Agreement or any matters arising out of it.
यह इकरारनामा भारत के लागू कानूनों द्वारा नियंत्रित होगा और दिल्ली में सक्षम न्यायालयों का इस इकरारनामों या इससे उत्पन्न होने वाले अन्य किसी भी मामलों में एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।
45. The Borrower acknowledges that the Borrower has been furnished with a copy of this Agreement and all other documents in relation to this Agreement
उधारकर्ता मानता है कि उधारकर्ता ने इस इकरारनामों की और इस इकरारनामों के संबंध में एक प्रति अन्य सभी दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त की है।

Borrower/ उधारकर्ता :

1 2 3 4

This Agreement shall come in force from the date of signing of this Agreement and shall remain in force and effect until all the monies due and payable to Company under this Agreement between the Borrower and Company are fully paid to the satisfaction of the Company.

यह इकरारनामा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और तब तक रहेगा जब तक इस उधारकर्ता और कंपनी के बीच के इकरारनामों के तहत कंपनी को देय और बकाया सभी पैसा उधारकर्ता द्वारा कंपनी को उसकी संतुष्टि तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।

IN WITNESS WHEREOF, the Borrower has executed this Agreement the day and year first above written.

गवाहों की मौजूदगी में, उधारकर्ता इस इकरारनामा पर उपरोक्त दी गई दिनांक पर निष्पादित करता है :-

आय फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड के लिए

For AYE FINANCE (P) LTD

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorized Signatory

For the Borrower(s) / उधारकर्ता के लिए

उधारकर्ता 1	उधारकर्ता 2
नाम	नाम
उधारकर्ता 3	उधारकर्ता 4
नाम	नाम

Witness(s) / गवाह

	Witness 1 / गवाह	Witness 2 / गवाह
Mr/Mrs./Ms / श्री / श्रीमती / कुमारी		
Address / पता :		
Signature / हस्ताक्षर :		

Date / दिनांक :

Place स्थान :

Note: Borrower's Loan application to be annexed.

नोट: उधारकर्ता का ऋण आवेदन संलग्न किया जाना है।

In case of any discrepancy or dispute, English version will be treated as authentic.

कोई विसंगति या विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा।

Schedule "A" / अनुसूची "ए"
The Loan – Key terms / ऋण – महत्वपूर्ण शर्तें

1. Branch / शाखा : _____
2. Principal Amount of Loan / ऋण की मूल राशि : **Rs.** रुपये _____
3. Rate Of Interest per year / ब्याज की दर प्रति वर्ष : _____ **%**
4. Processing Fees / प्रोसेसिंग शुल्क : **Rs.** रुपये _____
5. Term of Repayment (months) / पूनर्भुगतान की अवधि (महीने) : _____
6. Amount of installments for repayment of Principal and Interest per month / मासिक किस्तों की राशि : **Rs.** रुपये _____
 (मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए)
7. Monthly Installment date / मासिक किस्त की तारीख : _____
 i. Pre-EMI (PEMI) is payable on / पूर्व ईएमआई (पीईएमआई) देय तारीख : _____
 ii. First installment start date / पहली किस्त शुरुआत की तारीख : _____
8. Incidental charges / आकस्मिक शुल्क :
 i. Overdue charges for delay in payment EMI / PEMI / other charges beyond the stipulated days will be payable as under
 अतिदेय जुर्माना जो उधारकर्ता द्वारा देय ईएमआई / पीएमआई या अन्य देय रकम का भुगतान समय पर ना करने पर वसूल करेगी :
 a. First three days of delay / तीन दिन का विलंब : Nil (विमुक्त)
 b. Beyond three days Rs. 50/- per day upto a maximum of Rs. 3000/- per instance / तीन दिन से ज्यादा विलंब पर ₹ 50 /- प्रति दिन
 (₹ 3000 /- अधिकतम जुर्माना)
 ii. Cheque / ACH / ECS bouncing charge Rs. 250/- per instance / चेक / ऐसीएच / ईसीएस बाउंस शुल्क ₹ 250 /- हर बार
 iii. Pre closure charges : _____ % of outstanding amount / पूर्व चुकौती शुल्क : बकाया राशि का _____ %

Schedule "B" / अनुसूची "बी"

Details of the Borrower/ s उधारकर्ता /ओं का विवरण

	उधारकर्ता 1	उधारकर्ता 2
Name / नाम	Mr/Mrs./Ms / श्री / श्रीमति /कुमारी	Mr/Mrs./Ms / श्री / श्रीमति /कुमारी
	s/o, w/o / पुत्र / पत्नी :	s/o, w/o / पुत्र / पत्नी :
Address / पता :		
Signature / हस्ताक्षर :		

	उधारकर्ता 3	उधारकर्ता 4
Name / नाम	Mr/Mrs./Ms / श्री / श्रीमति /कुमारी	Mr/Mrs./Ms / श्री / श्रीमति /कुमारी
	s/o, w/o / पुत्र / पत्नी :	s/o, w/o / पुत्र / पत्नी :
Address / पता :		
Signature / हस्ताक्षर :		

Schedule "C" / अनुसूची "सी"
Schedule "C" / (गिरवी रखे गए माल का संक्षिप्त विवरण) अनुसूची "सी"
 (Short particulars of the hypothecated goods) / (गिरवी रखे गए माल का संक्षिप्त विवरण)

The Borrower(s) hereby agrees that all present and future stocks, raw materials, semi-finished & finished goods, book- debts, receivables, and vehicles and all other movable assets of the Borrower(s) including documents of title to goods, outstanding monies, bills, invoices documents, contracts, insurance policies, guarantees, engagements, securities, investments and rights and the present machinery listed in SCHEDULE-C hereunder and all the future machinery belonging to or in the possession or control of the Borrower(s) wherever lying, stored and kept and whether in possession of the Borrower(s) or of the Company or of any third party whether in India or elsewhere including all such goods, vehicles, other movable assets as may be in the course of shipment, transit or delivery and all the machinery, vehicles, and other equipment items of whatever nature acquired by the Borrower(s) pursuant or subsequent to these presents hereby agreed to be furnished herein (hereinafter collectively referred to as "the said assets") shall stand hypothecated to the Company as security for the due repayment and discharge by the Borrower(s) to the Company on demand of all the monies, at any time payable by the Borrower(s) under or in respect of the said facilities and whether for principal, interest, service charges, commitment charges, commission, discount or for costs, charges and expenses or all other monies payable hereunder or in respect of any liability undertaken by the Company for the Borrower(s) and / or which may be incurred by the Company and also for the due observance, performance and discharge of all obligations arising in the Loan Agreement.

उधारकर्ता (ओं) एतद्वारा इस बात से सहमत हैं कि सभी वर्तमान और भविष्य स्टॉक, कच्चे माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, पुस्तक ऋण, प्राप्तियों, और वाहनों और माल के लिए शीर्षक के दस्तावेजों सहित उधारकर्ता (ओं) के अन्य सभी चल संपत्ति, बकाया पैसा, बिल, चालान दस्तावेज, अनुबंध, बीमा नीतियों, गारंटी, व्यवसाय प्रतिभूतियों, निवेश और अधिकार और अनुसूची सी में सूचीबद्ध मौजूद मशीनरी और सभी भविष्य मशीनरी जो कि उधारकर्ता (ओं) और कंपनी या किसी तीसरे पक्ष के कब्जे और नियंत्रण में जहां पर भी है, चाहे वो भारत में है या कहीं और है, जिसमें सभी सामान, वाहन, अन्य चल संपत्ति लदान, पारगमन या वितरण और सभी मशीनरी, वाहन, और उधारकर्ता (ओं) द्वारा अधिग्रहीत जो कुछ अन्य उपकरण हैं को एतद्वारा प्रस्तुत करने पर सहमत हैं (जो कि यहां सामूहिक रूप से "उक्त परिसंपत्तियां" कही जाएंगी) कंपनी को गिरवी रखेगा और उक्त सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता (ओं) कंपनी की मांग पर किसी भी समय देय सभी पैसा, पुनर्मुग्तान और मुक्त करेगा चाहे वो मूलधन, ब्याज, सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कमीशन, छूट के लिए या लागत, शुल्क और खर्चों या अन्य सभी देय पैसा के अधीन हो और/या उधारकर्ता (ओं) के द्वारा कंपनी के लिए की गई किसी भी दायित्व के संबंध में के लिए किया जा सकता है जो कि कंपनी द्वारा किया जाए और ऋण इकरारनामों के अनुपालन, प्रदर्शन और सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए भी।

Name of Goods/ Stock / Property (movable/ immovable) / माल / स्टॉक / संपत्ति (चल / अचल)

We hereby confirm and declare that the Company shall have and shall be deemed always to have first and paramount charge over the aforesaid vehicles / equipment by way of hypothecation in accordance with the terms and conditions mentioned and contained in the aforesaid Agreement of Loan-cum-Hypothecation.

हम इसके द्वारा पुष्टि और घोषित करते हैं कि ऋण सह दृष्टिबंधक इकरारनामों में निहित नियम और शर्तों के अनुसार बंधक के माध्यम से उक्त वाहन/उपकरणों पर सर्वोपरि शुल्क पर गिरवी रखा जाएगा और गिरवी राखी सम्पत्ति पर कंपनी का हक पहले और सर्वोपरि होगा।

Borrower/ उधारकर्ता :

1 2 3 4

Schedule "D" / अनुसूची "डी"
Schedule of Property Mortgaged / संपत्ति गिरवी रखने का कार्यक्रम

The Borrower(s) hereby agrees that the Immovable Property as mentioned in Schedule D hereunder, shall stand mortgaged with the Company by way of first charge as security for the due repayment and discharge by the Borrower(s) to the Company on demand of all the monies, at any time payable by the Borrower(s) under or in respect of the said facilities and whether for principal, interest, service charges, commitment charges, commission, discount or for costs, charges and expenses or all other monies payable hereunder or in respect of any liability undertaken by the Company for the Borrower(s) and / or which may be incurred by the Company and also for the due observance, performance and discharge of all obligations arising in the Loan Agreement.

उधारकर्ता (ओं) एतद्वारा सहमत है कि अनुसूची डी में वर्णित अचल संपत्ति, कंपनी के पास, उधारकर्ता (ओं) द्वारा पुनर्भुगतान और अवतारण के लिए सुरक्षा के रूप में पहले प्रभार के रूप में गिरवी होगी जो कि कंपनी द्वारा किसी भी समय मांगी जाने वाले सभी पैसों के लिए होगी और जो कि उधारकर्ता द्वारा उक्त सुविधाओं पर देय होगी और चाहे वो मूलधन, ब्याज, सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कमीशन, छूट के लिए या लागत, शुल्क और खर्च या अन्य सभी देय पैसे हो या कंपनी द्वारा कउधारकर्ता (ओं) के लिए की गई किसी भी दायित्व के संबंध में और / या ऋण इकरारनामों में अनुपालन, प्रदर्शन और उत्पन्न होने वाली सभी दायित्वों की अदायगी के लिए किया जा सकता है

1. Details of Property Mortgaged / बंधक संपत्ति का विवरण :

Property bearing / संपत्ति संख्या No	
Measuring / मप	
Bounded	

2. Following Borrowers are Owners of Property Mortgaged / निम्नलिखित उधारकर्ताओं गिरवी संपत्ति के मालिक हैं :

	Name (s) / नाम	Address / पता	Share / हिस्सा

3. Description of purpose of loan on mortgaged property / ऋण का उद्देश्य :

4. Details of Property Documents Deposited with AYE FINANCE (P) LTD / आय फाईनेंस (प्रा.) लिमिटेड के साथ जमा संपत्ति दस्तावेजों का विवरण :

	Documents / कागजात	Detail of document (s) / कागजात(तों) का विवरण	No. of documents / कागजातों की संख्या
क			
ख			
ग			
घ			

Borrower / उधारकर्ता :

1 2 3 4

VERNACULAR DECLARATION / स्थानीय भाषा में घोषणपत्र

Borrower 1 / उधारकर्ता

I / मैं, _____ s/o d/o w/o पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
residing / निवासी _____]

state and declare as under / यह स्पष्ट करता (ती) हूँ :

1. That I have read out and explained in vernacular the contents and nature of the loan agreement and all other documents signed by him/ her for obtaining loan from Aye Finance (P) Ltd. He/ she is acknowledging the same.

कि मुझे आय फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड से ऋण का विवरण और उसके नियम, शुल्क और दस्तावेजों का विवरण जिन पर आपके उधारकर्ता ने हस्ताक्षर किये हैं, स्थानीय भाषा में समझा दिया गया है।

2. That He/ she signing in the vernacular all the documents and the agreement after understanding the same.

ऋण संबंधी दस्तावेज, फार्म व स्वीकृति-पत्र पर समझने के उपरांत ही उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं।

3. I have know the signatory for the last _____ months, I attest his / her signature.

मैं हस्ताक्षरकर्ता को पिछले _____ महीनों से जानता (ती) हूँ। मैं उनकी इस घोषणा को और उनके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करता (ती) हूँ।

Borrower / उधारकर्ता :

1 2 3 4

Signature of the Executant
(साक्षी / निष्पादक के हस्ताक्षर)

DEMAND PROMISSORY NOTE / मांग वचन पत्र



ONDEMAND I / we jointly, severally and unconditionally promise to pay AYE FINANCE (P) LTD, or order the sum of

मैं/हम, संयुक्त रूप से, अलग - अलग और बिना शर्त के आय फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की मांग करने पर निम्नलिखित राशि का भुगतान करूंगा / करेंगे।

RS. रुपये _____

With interest thereon from this date at (____%) per annum, or at a rate which may from time to time be determined by AYE FINANCE (P) LTD at its sole discretion and communicated in the Schedule of Charges. For value I have already received.

तथा इस तारीख से प्रति वर्ष (____%) की ब्याज दर पर या समय-समय आय फाइनेंस (प्रा.) लिमिटेड द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित की गई और शुल्कों की अनुसूची में भेजी गई ब्याज दर के आधार पर ब्याज का भुगतान करूंगा / करेंगे। इस राशि का मूल्य मुझे पहले प्राप्त हो चुका है।

EXECUTANTS / निष्पादक

	Borrower 1 / उधारकर्ता	Borrower 2 / उधारकर्ता	Borrower 3 / उधारकर्ता	Borrower 4 / उधारकर्ता
Mr/ Mrs./ Ms श्री/ श्रीमति/ कुमारी				
s/o, w/o पुत्र/ पत्नी :				
Address पता :				
Signature हस्ताक्षर :				

Date / दिनांक :

Place / स्थान :